

2019-24 के लिये टैरफि नयिमों को जारी करने की तैयारी में सीईआरसी

चर्चा में क्यों ?

केंद्रीय वदियुत वनियामक आयोग (Central Electricity Regulatory Commission) जल्द ही अगले पाँच वर्षों की टैरफि नयित्रण अवध के लिये टैरफि नयिमों के नरिधारण की प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है। यह अवध 2019 से शुरू होगी।

प्रमुख बिंदु

- आयोग का कहना है कि बजिली कंपनियों द्वारा इको-फ्रेंडली उपकरणों पर किये गए पूंजीगत व्यय की रकिवरी संबंधी समस्या को सुलझाने के लिये तत्काल एक तंत्र स्थापति करने की आवश्यकता है।
- आयोग ने पाया कि इस समस्या के शुरुआती समाधान की आवश्यकता पर बजिली उत्पादन कंपनियों और वितरण कंपनियों के बीच आम सहमति थी।
- केंद्रीय वदियुत प्राधिकरण (सीईए) इस तरह के प्रतष्ठितानों के लिये बेंचमार्क लागत की गणना करने संबंधी काम कर रहा है।
- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने दसिंबर 2015 में देश में कोयला-आधारित बजिली संयंत्रों के उत्सर्जन पर नयित्रण के लिये संशोधति मानकों को अधिसूचति किया था।
- वदियुत मंत्रालय ने इस अधिसूचना का पालन करने के लिये समय मांगा और इन संशोधति मानकों के अनुसार संयंत्रों को तैयार करने के लिये परयोजनानुसार प्लान तैयार किया।
- केंद्रीय वदियुत प्राधिकरण एनटीपीसी की हालिया नविदिओं के आधार पर उपकरणों के रेट्रोफिटिंग मूल्य हेतु बेंचमार्क स्थापति करने पर काम कर रहा है।
- ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि ऐसे उपकरणों के लिये लागत एनटीपीसी और नज्जी बजिली उत्पादकों की नविदिओं के बीच ज्यादा भिन्न नहीं होगी।
- वदियुत मंत्रालय पहले ही सलाह दे चुका है कि इन संयंत्रों को प्रतसिपर्धी बनाए रखने के लिये बजिली के डसिपैच ऑर्डर की तैयारी के दौरान ऐसी लागत शामिल नहीं की जाएगी। बजिली उत्पादकों ने मंत्रालय और वनियामक से पर्यावरण मानदंडों को पूरा करने के लिये आवश्यक लागत वहन करने संबंधी स्पष्टीकरण की मांग की थी।
- एनटीपीसी ने केंद्रीय वदियुत वनियामक आयोग के समक्ष वदियुत अधनियम, 2003 के सेक्शन 79 के याचिका दायर की थी, जिसमें संशोधति पर्यावरणीय मानदंडों के अनुपालन हेतु थर्मल-संयंत्रों में वभिन्न प्रदूषण नयित्त्रक प्रणालियों की स्थापना के लिये व्यय संबंधी मंजूरी की मांग की गई थी।
- सीईआरसी 2019-24 की अवध के लिये टैरफि नयिमों को तैयार करने संबंधी दृष्टिकोण पत्र को अंतिम रूप देने के करीब है।
- इस पत्र को अगले 10 दिनों में सार्वजनिक परामर्श हेतु जारी किये जाने की संभावना है।
- आयोग का कहना है कि उसने टैरफि नयिमों के लिये वचिर-वमिर्श के दायरे को बढ़ाने की पूरी कोशिश की है और उनकी टीमों ने दृष्टिकोण पत्र तैयार करने हेतु जोनल स्तर तक पहुँच स्थापति की है तथा वदियुत क्षेत्र में प्रत्येक बहस योग्य पहलू को इसमें शामिल करने का प्रयास किया गया है।
- दृष्टिकोण पत्र पर सभी हतिधारकों के साथ वचिर-वमिर्श के पश्चात् ड्राफ्ट टैरफि नयिम जारी किये जाएंगे। फाइनल नयिमों के दसिंबर तक तैयार हो जाने की उम्मीद है।